सं : 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 12 मार्च, 2021

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI - 400 051.** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा) पू(, मुंबई-**400 051**	**Bombay Stock Exchange Limited,** Department of Corporate Services, Floor - 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI - 400 001.** बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-**25,** पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-**400 001**

विषय: **बोर्ड बैठक का परिणाम - अंतरिम लाभांश की घोषणा**

महोदया/महोदय,

दिनांक 8 और 9 मार्च, 2021 के हमारे पिछले पत्रों की निरंतरता में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज अर्थात 12 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ वि.व. 2020-21 के लिए प्रति ₹10/- के प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अधीन) @ ₹8/- की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान की घोषणा की है।

कृपया ध्यान दें कि शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तारीख अर्थात 22 मार्च, 2021 को हमारे दिनांक 9 मार्च, 2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के पत्र द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया है।

लाभांश के भुगतान/प्रेषण की तारीख 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले होगी।

इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के लिए 1 अप्रैल, 2020 से कर योग्य है और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है।

तदनुसार, शेयरधारकों के ध्यान में पैन, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी जमा करने के लिए लाया जाता है, जब तक कि 22 मार्च, 2021 को या उससे पहले ई-मेल के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर पहले ही जमा नहीं किया जाता है, investorsgrievance@pfcindia.com को एक प्रति के साथ (विषय में "पीएफसी" के रूप में यूनिट का नाम उद्धृत करते हुए)।

22 मार्च, 2021 के बाद कम दरों पर कर निर्धारण/कर की कटौती पर कोई संचार नहीं किया जाएगा। यह आगे सूचित किया जाता है कि यदि अपेक्षित विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर की उच्च दर पर कटौती की जाती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय भी भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा किया जा सकता है। हालांकि, काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, शेयरधारक टीडीएस के क्रेडिट को फॉर्म 26AS में देख सकेंगे, जिसे https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर उनके ई-फाइलिंग खाते से डाउनलोड किया जा सकता है।

बोर्ड बैठक दोपहर 3.20 बजे शुरू हुई और सायं 5.10 बजे समाप्त हुई।

सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com